

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2665 / 2024


दिनांक : 13.08.2024

सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को दिनांक 20.08.2024 से 23.08.2024 तक 04 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 18.08.2024 से 19.08.2024 एवं 24.08.2024 से 26.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सराफ की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/36/2002/ 6374

दिनांक : 13.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को उनके पत्रांक 32 दिनांक 10.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री रंजना सराफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


सहायक रजिस्ट्रार